

27.1.93

12.11.08

RECEIVED NO. D/D/33004/94

18/11/08

H.C. (G.D. U.A.)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. 750
Deptt 400
K.D. 30
CPB 320

COMPLETED

नं. 489]
No. 489]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 2, 1994/अग्रहायण 11, 1916
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 2, 1994/AGRAHAYANA 11, 1916

पूरा कर दिया गया है।

19/11/08

विदेश संवाक्य
अतिमूल्य

दिनांक: 2 दिसम्बर, 1994

भा. राज. वि. 833(अ) - वास्तुपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967) का 15(1) को धारा 24 द्वारा बदल अधिनियमों का प्रयोग करते हुए, इस संसद अधिनियम वास्तुपोर्ट अधिनियम 1980 में और संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित विद्यमान बनाता है, अर्थात्:—

(1) में निम्न वास्तुपोर्ट (निर्धोष) विधम, 1994 प्रस्तावित है।
(2) के द्वारा नरनारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के अन्तर्गत में।

वास्तुपोर्ट विधम, 1980 (1) की अनुसूची 1 में कम से कम और उसी संसद अधिनियमों के लिए निम्नलिखित कम किया तथा अधिनियमों प्रकाशित की जाए, अर्थात्:—

वास्तुपोर्ट अधिकारी	क्षेत्राधिकारी
1	2
(क) शैलीय वास्तुपोर्ट अधिकारी (शैलीय वास्तुपोर्ट कार्यालय, दिल्ली)।	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ, गाजियाबाद जिले, तथा हरियाणा राज्य के फरीदाबाद, मुहगांव, सोनीपत तथा रोहतक जिले।
(ख) धर्मशुल्क (शैलीय वास्तुपोर्ट कार्यालय, दिल्ली)।	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ, गाजियाबाद जिले, तथा हरियाणा राज्य के फरीदाबाद, मुहगांव, सोनीपत तथा रोहतक जिले।

(क) महापंक वास्तुपोर्ट अधिकारी, (शैलीय वास्तुपोर्ट कार्यालय, दिल्ली)।

संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ, गाजियाबाद जिले, तथा हरियाणा राज्य के फरीदाबाद, मुहगांव, सोनीपत, और रोहतक जिले।

(ख) धर्मशुल्क अधिकारी, (शैलीय वास्तुपोर्ट कार्यालय, दिल्ली)।

संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ, गाजियाबाद जिले तथा हरियाणा राज्य के फरीदाबाद, मुहगांव, सोनीपत तथा रोहतक जिले।

(ग) धर्मशुल्क (शैलीय वास्तुपोर्ट कार्यालय, दिल्ली)।

संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ, गाजियाबाद जिले, तथा हरियाणा राज्य के फरीदाबाद, मुहगांव, सोनीपत तथा रोहतक जिले।

Attested

2739 GI/94

(1) Controller of Publication
Govt. of India
Department of Publication &
(Ministry of Urban Development)

2. क्रम सं. 4 तथा उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों प्रस्थापित की जाए, अर्थात् :-

4. (क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पंजाब राज्य के बटिहा, चण्डीगढ़ (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चण्डीगढ़) फरीदकोट, फतेहगढ़, साहिब फिरोजपुर, लुधियाना, मंसा, पटियाला, रोपड़ तथा मंगरूर जिले हरियाणा राज्य के सभी जिले सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव तथा रोहतक जिलों को छोड़कर। हिमाचल प्रदेश के सभी जिले, तथा संघ आश्रित क्षेत्र चण्डीगढ़।

(ख) जनसंपर्क अधिकारी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चण्डीगढ़) पंजाब राज्य के बटिहा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, लुधियाना, मंसा, पटियाला, रोपड़ तथा मंगरूर जिले, हरियाणा राज्य के सभी जिले, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव तथा रोहतक जिलों को छोड़कर, हिमाचल प्रदेश के सभी जिले, और संघ आश्रित क्षेत्र चण्डीगढ़।

(ग) अधीक्षक (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चण्डीगढ़) पंजाब राज्य के बटिहा, फरीदकोट, फतेहगढ़, साहिब फिरोजपुर, लुधियाना, मंसा, पटियाला, रोपड़ और मंगरूर जिले। हरियाणा राज्य के सभी जिले सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव तथा रोहतक जिलों को छोड़कर, हिमाचल प्रदेश के सभी जिले तथा संघ आश्रित क्षेत्र चण्डीगढ़।

(3) क्रम सं. 8 (ii) तथा उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियों प्रस्थापित की जाए, अर्थात् :-

8. (ii) (क) पासपोर्ट अधिकारी, बरेली (पासपोर्ट कार्यालय बरेली)। उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत, शाहजहांपुर, मैनपुरी, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, बुलन्दशहर, बदायूं, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, नैनीताल, विजनीर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गढ़वाल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी-गढ़वाल, देहरादून तथा उत्तरकाशी जिले।

(ख) जन संपर्क अधिकारी, (पासपोर्ट कार्यालय, बरेली) उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत, शाहजहांपुर, मैनपुरी, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, बुलन्दशहर, बदायूं, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, नैनीताल, विजनीर, मुजफ्फरनगर, गढ़वाल, सहारनपुर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी-गढ़वाल, देहरादून तथा उत्तरकाशी जिले।

(ग) अधीक्षक (पासपोर्ट अधिकारी, बरेली) उत्तर-प्रदेश राज्य के पीलीभीत, शाहजहांपुर, मैनपुरी, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, बुलन्दशहर, बदायूं, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, नैनीताल, विजनीर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गढ़वाल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी-गढ़वाल देहरादून तथा उत्तरकाशी जिले।

(4) क्रम सं. 16 तथा उससे संबद्ध प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियों प्रस्थापित की जाए अर्थात् :-

16(i) (क) पासपोर्ट अधिकारी, जम्मू (पासपोर्ट कार्यालय जम्मू)। जम्मू और कश्मीर राज्य।

(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, (पासपोर्ट कार्यालय, जम्मू)। जम्मू और कश्मीर राज्य।

(ग) जन संपर्क अधिकारी, (पासपोर्ट कार्यालय, जम्मू)। जम्मू और कश्मीर राज्य।

(घ) अधीक्षक (पासपोर्ट कार्यालय, जम्मू)। जम्मू और कश्मीर राज्य।

(ii) पासपोर्ट संकलन केन्द्र, श्रीनगर।

[फा. सं. V. IV/551/9/84]
ति. कु. प्र. रंगाचारी, संपुक्त तापिस

बाद दिवसों: भारत के राष्ट्रपति, 1980 (असाधारण) भाग II खण्ड 3 उप-खण्ड (i) दिनांक 11 दिसम्बर, 1980 जो एन आर 691(ई) में मूल नियम प्रकाशित किए गए थे जो बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :-

- (1) जो एन आर संख्या 50(ई), दिनांक 7-2-1981
- (2) जो एन आर संख्या 469(ई), दिनांक 24-6-1982
- (3) जो एन आर संख्या 325(ई), दिनांक 12-4-1983
- (4) जो एन आर संख्या 494(ई), दिनांक 16-6-1983
- (5) जो एन आर संख्या 345(ई), दिनांक 29-3-1985
- (6) जो एन आर संख्या 860(ई), दिनांक 1-11-1985
- (7) जो एन आर संख्या 857(ई), दिनांक 13-10-1987

Atstet

[Signature]

- (8) जी एस आर संख्या, 84(ई), दिनांक 11-2-1988
- (9) जी एस आर संख्या 1155(ई), दिनांक 21-11-1988
- (10) जी एस आर संख्या, 622(ई), दिनांक 27-7-1990
- (11) जी एस आर संख्या 653(ई), दिनांक 2-7-1990
- (12) जी एस आर संख्या 100(ई), दिनांक 4-3-1991
- (13) जी एस आर संख्या 275(ई), दिनांक 20-3-1991
- (14) जी एस आर संख्या 586(ई), दिनांक 21-6-1991
- (15) जी एस आर संख्या 111(ई), दिनांक 22-1-1992
- (16) जी एस आर संख्या 684 (ई), दिनांक 15-6-1992
- (17) जी एस आर संख्या 521 (ई), दिनांक 7-8-1992
- (18) जी एस आर संख्या 477(ई), दिनांक 16-6-1993
- (19) जी एस आर संख्या 485 (ई), दिनांक 1-7-1993
- (20) जी एस आर संख्या 503(ई), दिनांक 10-7-1993

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 1994

G.S.R. 833(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passport Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport Rules, 1980, namely :—

1. (1) These rules may be called the Passport (Amendment) Rules, 1994.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In Schedule I to the Passport Rules, 1980 (1) for serial No. 3 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

S.No.	Passport Authorities	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
"3"	(a) Regional Passport Officer, Delhi (Regional Passport Office, Delhi).	The Union Territory of Delhi, the districts of Meerut, Ghaziabad in the State of Uttar Pradesh, and the districts of Faridabad, Gurgaon, Sonapat and Rohtak in the State of Haryana.
	(b) Assistant Passport Officer (Regional Passport Office, Delhi).	The Union Territory of Delhi, the districts of Meerut, Ghaziabad in the State of Uttar Pradesh, and the districts of Faridabad, Gurgaon, Sonapat and Rohtak in the State of Haryana.
	(c) Public Relations Officer (Regional Passport Office, Delhi).	The Union Territory of Delhi, the districts of Meerut, Ghaziabad in the State of Uttar Pradesh, and the districts of Faridabad, Gurgaon, Sonapat and Rohtak in the State of Haryana.

(1) (2) (3)

(d) Superintendent (Regional Passport Office, Delhi). The Union Territory of Delhi, the districts of Meerut, Ghaziabad in the State of Uttar Pradesh, and the districts of Faridabad, Gurgaon, Sonapat and Rohtak in the State of Haryana."

(2) for serial No. 4 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

"4. (a) Regional Passport Officer, Chandigarh (Regional Passport Office, Chandigarh). The districts of Bhatinda, Faridkot, Fatehgarh Sahib, Ferozpur, Ludhiana, Mansa, Patiala, Ropar and Sangrur in the State of Punjab, all the districts in the State of Haryana excluding the districts of Sonapat, Faridabad, Gurgaon and Rohtak; all the districts of Himachal Pradesh, and the Union Territory of Chandigarh.

(b) Public Relations Officer (Regional Passport Office, Chandigarh). The districts of Bhatinda, Faridkot, Fatehgarh Sahib, Ferozpur, Ludhiana, Mansa, Patiala, Ropar and Sangrur in the State of Punjab; all the districts in the State of Haryana excluding the districts of Sonapat, Faridabad, Gurgaon and Rohtak; all the districts of Himachal Pradesh, and the Union Territory of Chandigarh.

(c) Superintendent (Regional Passport Office, Chandigarh). The districts of Bhatinda, Faridkot, Fatehgarh Sahib, Ferozpur, Ludhiana, Mansa, Patiala, Ropar and Sangrur in the State of Punjab; all the districts in the State of Haryana excluding the districts of Sonapat, Faridabad, Gurgaon and Rohtak; all the districts of Himachal Pradesh, and the Union Territory of Chandigarh."

(3) for serial No. 8(ii) and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

"8(ii) (a) Passport Officer, Bareilly (Passport Office, Bareilly). The districts of Pilibhit, Sahjahanpur, Mainpuri, Agra, Mathura, Aligarh, Etah, Bulandshahar, Budaan, Bareilly, Rampur, Moradabad, Nainital, Bijnor, Muzaffarnagar, Saharanpur, Garhwal, Almorah, Pithoragarh, Chamoli, Tehri Garhwal, Dehradun and Uttarakashi in the State of Uttar Pradesh.

(b) Public Relations Officer (Passport Office, Bareilly). The districts of Pilibhit, Sahjahanpur, Mainpuri, Agra, Mathura, Aligarh, Etah, Bulandshahar, Budaan.

(1)	(2)	(3)	(4)	Foot Note
		Bareilly, Rampur, Moradabad, Nainital, Bijnor, Muzaffarnagar, Saharanpur, Garhwal, Almora, Pithoragarh, Chamoli, Tehri-Garhwal, Dehradun and Uttarakashi in the State of Uttar Pradesh.		Principal rules were published vide No. GSR 59(E) dated 11th December, 1980, Gazette of India, 1980 (Extraordinary) Part II, Section 3 Sub-section (i) subsequently amended by —
(c)	Superintendent (Passport Office, Bareilly).	The districts of Pilibhit, Sahjahanpur, Mainpuri, Agra, Mathura, Aligarh, Etah, Bulandshahar, Budaun, Bareilly, Rampur, Moradabad, Nainital, Bijnor, Muzaffarnagar, Saharanpur, Garhwal, Almora, Pithoragarh, Chamoli, Tehri-Garhwal, Dehradun and Uttarakashi in the State of Uttar Pradesh.	(4) for serial No. 16 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—	(i) Number GSR 50(E), dated 7-2-1981. (ii) Number GSR 469(E), dated 24-6-1982. (iii) Number GSR 325(E), dated 12-4-1983. (iv) Number GSR 490(E), dated 16-6-1983. (v) Number GSR 345(E), dated 29-3-1985. (vi) Number GSR 860(E), dated 1-11-1985. (vii) Number GSR 657(E), dated 13-10-1987. (viii) Number GSR 84(E), dated 11-2-1988. (ix) Number GSR 1155(E), dated 21-11-1988. (x) Number GSR 622(E), dated 27-7-1990. (xi) Number GSR 653(E), dated 2-7-1990. (xii) Number GSR 100(E), dated 4-3-1991. (xiii) Number GSR 275(E), dated 20-3-1991. (xiv) Number GSR 586(E), dated 21-6-1991. (xv) Number GSR 111(E), dated 22-1-1992. (xvi) Number GSR 684(E), dated 15-6-1992. (xvii) Number GSR 721(E), dated 7-8-1992. (xviii) Number GSR 477(E), dated 16-6-1993. (xix) Number GSR 485(E), dated 1-7-1993. (xx) Number GSR 303(E), dated 10-7-1993.
16(i)	(a) Passport Officer, Jammu (Passport Office, Jammu).	The State of Jammu and Kashmir.		
	(b) Assistant Passport Officer (Passport office, Jammu).	The State of Jammu and Kashmir.		
	(c) Public Relations Officer (Passport office, Jammu).	The State of Jammu and Kashmir.		
	(d) Superintendent (Passport Office, Jammu).	The State of Jammu and Kashmir.		
(ii)	Passport Collection Centre, Srinagar.			

[F.No. V-IV/551/94]

T.C. A. RANGACHARI, Jt. Secy.

Accepted

enamp

31 8/10
Controller of Publication

Govt. of India

Department of Publications

(Ministry of Urban Development)

Civil Lines, Delhi-110